कार्यालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी
(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)
पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 51/2017 अपील सू.प्र.

उनवान

श्री राजूसिंह पिता हरिसिंह रावत नि0 लाडपुरा त0 माण्डलगढ, जिला भीलवाडा	बनाम	लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया
—अपीलार्थी		—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :— अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 13/06/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के विरूद्ध दिनांक 20.05..2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत दिनांक 17/04/2017 को एक आवेदन मय निर्धारित शुल्क 10/—रूपये पोस्टल ऑर्डर संख्या 35एफ 763961 प्रस्तुत कर लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 17/04/2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 29/05/2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी् को सूचना पत्र जारी किया गया। तथा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया से तथ्यात्मक प्रतिवेदन चाहा गया। प्रत्यर्थी ने अपने पत्रांक/सू.अ./2017/780 दिनांक 31.05.2017 से तथ्यात्मक प्रतिवेदन भिजवाते हुए अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के समक्ष आवेदन दिनांक 17.04.2017 को प्रस्तुत किया जिसमें चाही गई सूचना अपीलान्ट को तहसीलदार ने अपने पत्रांक/राजस्व/2017/136 दिनांक 01.02.

जिला कलक्टर
भीलवाडा

2017 के द्वारा व्यक्तिशः उपलब्ध कराई गई जिसकी प्रति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की है।

प्रत्यर्थी की ओर से प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया ।

प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया के द्वारा अपीलान्ट के आवेदन दिनांक 17.04.2017 से जो सूचना चाही गई वह अपीलान्ट को तहसीलदार बिजौलिया के पत्रांक/राजस्व/2017/136 दिनांक 01.02.2017 से व्यक्तिशः उपलब्ध कराई गई जिसकी प्राप्ति के अपीलान्ट के हस्ताक्षर उक्त पत्र पर है। अपील प्रस्तुत करने के पश्चात अपीलान्ट ने न्यायालय में उपस्थित होकर उपलब्ध कराई गई सूचना के खण्डन में कोई उजर या एतराज प्रस्तुत नहीं किया इससे यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट उक्त सूचना से सन्तुष्ट है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो भी सूचना कार्यालय में उपलब्ध है उसे उपलब्ध कराने के प्रावधान है। ऐसी स्थिति में जो सूचना उपलब्ध नहीं है वह उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। यही सूचना अपीलान्ट को तहसीलदार बिजौलिया के स्तर से उपलब्ध करादी गई थी जिसका खण्डन अपीलान्ट ने पेश नहीं किया है।

अतएव उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपीलार्थी व प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बिजौलिया को सूचनार्थ भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 13/06/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा